



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

हरिद्वार-249404



01334-244143
01334-244282(F)

वेबसाइट-www.ukpsc.gov.in

विज्ञापन संख्या-A-1/S-1/2022

दिनांक 15 मार्च, 2022

उत्तराखण्ड विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अन्तर्गत वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा-2022

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	::	15 मार्च, 2022
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	::	04 अप्रैल, 2022 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, ऑनलाइन आवेदनपत्र के प्रिंटआउट के साथ आयोग कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि	::	19 अप्रैल, 2022 (सायं 6:00 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश

- अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अवश्य करें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र, ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
- अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 04 अप्रैल, 2022 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं, अन्य अर्हताएं एवं वांछित अनुभव अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह तिथि मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में Result Declaration Date के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी।
- प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनायी जायेगी, परन्तु रिक्त पदों के सापेक्ष मानक से अधिक संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त होने की दशा में छंटनी हेतु साक्षात्कार से पूर्व हरिद्वार एवं हल्द्वानी नगर (अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर केवल हरिद्वार नगर) के परीक्षा केन्द्रों पर स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करायी जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा

(वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित किये जाने की दशा में स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

4. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन-पत्र को सही-सही भरें। **किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**
5. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित समस्त अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति आयोग कार्यालय में प्रेषित करने से पूर्व **उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2019** जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, का अवश्य अवलोकन कर लें। साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों/अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) विज्ञापन में उल्लिखित प्राविधानुसार सम्पादित की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख निर्धारित अन्तिम तिथि तक उपलब्ध न कराने पर अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा।
6. फर्जी प्रमाण-पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना/लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।
7. आयोग में ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन-पत्र में की गई प्रविष्टियों यथा:- पदनाम, अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, एवं आयु इत्यादि में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या : **332/XXX(2)/2021/55(35)/2003** दिनांक **03 अक्टूबर, 2021** द्वारा कोविड-19 से रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु लिए जाने वाले शुल्क के व्यय भार से आवेदकों को मुक्त करने हेतु दिनांक 31.03.2022 तक आवेदन शुल्क न लिए जाने का निर्णय लिया गया है। **उक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत परीक्षा में आवेदकों से आवेदन शुल्क/प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जायेगा।**
9. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए, अन्तिम तिथि से पूर्व ही अपना आवेदन-पत्र अवश्य भर लें।
10. स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित होने की दशा में अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु ऑनलाइन प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर जारी किये जायेंगे। स्क्रीनिंग परीक्षा की तिथि की सूचना तथा साक्षात्कार से पूर्व साक्षात्कार की तिथि की सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in तथा दैनिक समाचार-पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायी जाएगी।
11. दिव्यांग अभ्यर्थी उक्त पदों हेतु चिन्हित श्रेणी (PD, OL) की निःशक्तता से ग्रस्त होने पर अनारक्षित पद के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं, भले ही उनके लिए कोई रिक्ति आरक्षित हो

या न हो। उक्त श्रेणी के निःशक्तता से ग्रस्त ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता के सामान्य मानकों द्वारा ऐसे पदों पर नियुक्ति हेतु चुने जाने के लिए विचार किया जायेगा, परन्तु दिव्यांगजन को सरकारी सेवा में प्रवेश के समय दिव्यांगता की श्रेणी से भिन्न सामान्य स्वास्थ्य उपयुक्तता का प्रमाण पत्र नियमानुसार नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

12. प्रश्नगत परीक्षा में श्रेणीवार/उपश्रेणीवार साक्षात्कार परीक्षा के न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के **परिशिष्ट-2** पर उपलब्ध है। **अभ्यर्थियों को सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जायेगा।**
13. अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के साथ समस्त स्वहस्ताक्षरित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अनुभव, अधिमानी अर्हता, आरक्षण, स्थाई-निवास, विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति आदि से संबंधित **परिशिष्ट-3** में उल्लिखित सूची के अनुसार **प्रत्येक आवेदित पदों के सापेक्ष पृथक-पृथक ऑनलाईन आवेदन पत्र व समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट की छायाप्रति, सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार कार्यालय में रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/कोरियर/किसी अन्य माध्यम से अथवा आयोग कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में उपस्थित होकर, निर्धारित अंतिम तिथि 19 अप्रैल, 2022 समय सायं 6:00 तक जमा कराना अनिवार्य है। समस्त वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।** आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर परीक्षा और पद का नाम अवश्य अंकित करें। डाक विभाग की किसी भी देरी के लिए आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। **जो अभ्यर्थी एक से अधिक पदों/अनुभागों हेतु आवेदन करेंगे, वे आवेदित पदों हेतु पृथक-पृथक ऑनलाईन आवेदन पत्र व समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय को निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।**
14. यदि अभ्यर्थी की अंक-तालिका में प्राप्तांकों की गणना ग्रेड (CGPA, OGPA, SGPA etc.) में हो तो अंक तालिका में दिये गये निर्देशों के अनुसार समकक्ष अंकों व प्रतिशत को दर्शाना अनिवार्य है। साथ ही ग्रेड गणना को प्रतिशतता (Percentage) में परिवर्तित करने हेतु लागू फार्मूले की प्रमाणित प्रति अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र **परिशिष्ट-06** में निर्धारित प्रारूप पर साक्षात्कार से पूर्व समस्त अभिलेखों के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करें। **निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्र संलग्न न करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।**
15. अभ्यर्थियों से **वैज्ञानिक अधिकारी** पद के अन्तर्गत एक अनुभाग हेतु एक ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जायेगा। अभ्यर्थी एक अनुभाग हेतु एक से अधिक आवेदन कदापि न करें, अन्यथा संबंधित पद हेतु आवेदित इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से भरे हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि होने की दशा में अभ्यर्थी आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व अपना आवेदन निरस्त (**Cancel**) कर, पुनः ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

16. अभ्यर्थी वैज्ञानिक अधिकारी पद के अन्तर्गत एक से अधिक अनुभागों हेतु आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में पृथक-पृथक अनुभागों/पदों का चयन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में ही सम्बन्धित आवेदित अनुभाग का उल्लेख किया जाना होगा। एक से अधिक अनुभागों के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने की दशा में साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को अनुभागों हेतु वरीयता प्रपत्र (Preference Sheet) प्रस्तुत करना होगा, जो कि साक्षात्कार के पूर्व आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।
17. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में अपनी शैक्षिक अर्हता का उल्लेख करेंगे तथा विभिन्न पदों हेतु वांछित शैक्षिक अर्हता, जो वह धारित करता हो, के अनुसार एक से अधिक अनुभागों हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
18. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि एवं नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी पदों के अनुभागवार विवरणानुसार "Online Application" प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन करने के पश्चात "Online Application" की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखण्ड शासन, गृह विभाग के अन्तर्गत विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तराखण्ड, देहरादून में वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाईन आवेदन (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं।

01. रिक्तियों का विवरण वैज्ञानिक अधिकारी :(अनुभागवार) कुल पद:- 08

क्र. स.	पद का नाम	कुल	सामान्य	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति	उत्तराखण्ड अन्य पिछडा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
1.	वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी तथा प्राक्षेपिकी अनुभाग)	01	—	01	—	—	—
2.	वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन, विष विज्ञान, विस्फोटक एवं नारकोटिक्स अनुभाग)	02	02	—	—	—	—
3.	वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान अनुभाग एवं डी0एन0ए0 अनुभाग)	01	01	—	—	—	—
4.	वैज्ञानिक अधिकारी (सीरम विज्ञान एवं डी0एन0ए0 अनुभाग)	02	01 (उ0म0)*	01	—	—	—
5.	वैज्ञानिक अधिकारी (प्रलेख परीक्षण अनुभाग)	01	—	—	—	01	—
6.	वैज्ञानिक अधिकारी (कम्प्यूटर फॉरेंसिक अनुभाग)	01	01	—	—	—	—
कुल योग		08	05	02	00	01	00

* उ0म0 = उत्तराखण्ड महिला

रिक्तियों का विवरण (श्रेणी/उपश्रेणी अनुसार) :कुल पद— 08

क्र. सं.	श्रेणी	पद	उपश्रेणी				
			उत्तराखण्ड महिला	पूर्व सैनिक	स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित	दिव्यांगजन	अनाथ बच्चे
1	अनारक्षित	05	01	—	—	—	—
2	अनुसूचित जाति	02	—	—	—	—	
3	अनुसूचित जनजाति	—	—	—	—	—	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	—	—	—	—	
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	—	—	—	—	—	
कुल		08	01	00	00	00	00

नोट:— 1. रिक्तियों की संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है।

* नोट:— अनारक्षित पदों के सापेक्ष आवेदन करने वाले दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु चिन्हित श्रेणी—(PD & OL) तदक्रम में दिव्यांगजन की अन्य उपश्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे।

02. अनिवार्य शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हताएं:—

(A) पदवार/अनुभागवार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता—

(1) वैज्ञानिक अधिकारी(भौतिकी तथा प्राक्षेपिकी अनुभाग) 01 पद (अनुसूचित जाति) :—

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान या विधि विज्ञान (फॉरेंसिक साइंस) में एम0एससी0 तथा स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में भौतिकी या रसायन विज्ञान उत्तीर्ण।

(ख) विधि विज्ञान प्रयोगशाला या संस्थान में कम से कम 05 वर्ष का विश्लेषणात्मक अनुभव।

(2) वैज्ञानिक अधिकारी(रसायन, विष विज्ञान, विस्फोटक एवं नारकोटिक्स अनुभाग) 02 पद (सामान्य) :—

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान/एनालिटिकल केमिस्ट्री/विष विज्ञान में एम0एससी0 या विधि विज्ञान (फॉरेंसिक साइंस) में एम0एससी0 के साथ केमिस्ट्री में स्पेशियलाइजेशन और स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान उत्तीर्ण।

(ख) विधि विज्ञान प्रयोगशाला या संस्थान में कम से कम 05 वर्ष का विश्लेषणात्मक अनुभव।

(3) वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान अनुभाग एवं डी0एन0ए0 अनुभाग) 01 पद(सामान्य) :-

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जन्तु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/ह्यूमेन बायोलॉजी/फिजीकल एन्थ्रोपोलॉजी/ह्यूमेन जेनेटिक्स/जीव-रसायन विज्ञान/माइक्रोबायोलॉजी/मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एम0एससी0 या विधि विज्ञान (फॉरेंसिक साइंस) में एम0एससी0 तथा जीवविज्ञान/सीरोलॉजी में स्पेशियलाइजेशन।

(ख) विधि विज्ञान प्रयोगशाला या संस्थान में कम से कम 05 वर्ष का विश्लेषणात्मक अनुभव।

(4) वैज्ञानिक अधिकारी (सीरम विज्ञान एवं डी0एन0ए0 अनुभाग) 02 पद (01 सामान्य महिला एवं 01 पद अनुसूचित जाति):-

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जन्तु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/ह्यूमेन बायोलॉजी/फिजीकल एन्थ्रोपोलॉजी/ह्यूमेन जेनेटिक्स/ जीव-रसायन विज्ञान/माइक्रोबायोलॉजी/मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एम0एससी0 या विधि विज्ञान (फॉरेंसिक साइंस) में एम0एससी0 तथा जीवविज्ञान/सीरोलॉजी में स्पेशियलाइजेशन।

(ख) विधि विज्ञान प्रयोगशाला या संस्थान में कम से कम 05 वर्ष का विश्लेषणात्मक अनुभव।

(5) वैज्ञानिक अधिकारी (प्रलेख परीक्षण अनुभाग) 01 पद (अन्य पिछडा वर्ग) :-

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान में एम0एससी0 या विधि विज्ञान (फॉरेंसिक साइंस) में एम0एससी0 के साथ फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट्स में स्पेशियलाइजेशन तथा स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान उत्तीर्ण।

(ख) विधि विज्ञान प्रयोगशाला या संस्थान में कम से कम 05 वर्ष का विश्लेषणात्मक अनुभव।

(6) वैज्ञानिक अधिकारी (कम्प्यूटर फॉरेंसिक अनुभाग) 01 पद(सामान्य):-

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में एम0एससी0 अथवा एम0सी0ए0 उत्तीर्ण।

(ख) विधि विज्ञान प्रयोगशाला या संस्थान में कम से कम 05 वर्ष का विश्लेषणात्मक अनुभव।

(B) अधिमानी अर्हता:-

1. सम्बन्धित क्षेत्र में पीएच0डी0 किया हो
2. विधि विज्ञान के सम्बन्धित क्षेत्र में परीक्षण कार्य एवं शोध का अनुभव

(C) अन्य अधिमानी अर्हताएं – अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने –

1. (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या
2. (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

नोट:— 1. अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला या संस्थान में कम से कम 05 वर्ष के विश्लेषणात्मक अनुभव का प्रमाण पत्र **“परिशिष्ट-4(क)”** एवं विधि विज्ञान के सम्बन्धित क्षेत्र में परीक्षण कार्य एवं शोध के अनुभव संबंधी अधिमानी अर्हता का प्रमाणपत्र **परिशिष्ट-4(ख)** के निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। अन्य प्रारूपों पर उपलब्ध कराया गया प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. एक से अधिक अनुभागों हेतु आवेदन करने की दशा में प्रत्येक आवेदित पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अधिमानी अर्हता से संबंधित अनुभव के दावे के संबंध में **“परिशिष्ट-4(क)”** एवं **“परिशिष्ट-4(ख)”** पर दिये गये प्रारूप के अनुसार पृथक-पृथक प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

3. वैज्ञानिक अधिकारी पद की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत विधि विज्ञान प्रयोगशाला या संस्थान में कम से कम 05 वर्ष का विश्लेषणात्मक अनुभव किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/शोध संस्थान से संबंधित क्षेत्र का अनुभव मान्य होगा। इसके अतिरिक्त विधि विज्ञान प्रयोगशाला या संस्थान के अन्तर्गत केवल सार्वजनिक/राजकीय प्रयोगशाला या संस्थान द्वारा प्रदत्त अनुभव प्रमाण पत्र तथा अनुभव का स्वरूप स्थाई/नियमित अथवा अस्थायी/अंशकालिक/संविदा/अतिथि फौकल्टी/मानदेय पर आधारित अनुभव ही मान्य है।

03. वेतनमान:— ₹0 56,100–1,77,500 /—मेट्रिक लेवल–10

04. पद का स्वरूप व पेंशन योजना:—राजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त

05. आयु सीमा:—

(1) आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 264/XXX (2)/2021-30(10)/2019 दिनांक 27 अगस्त, 2021 द्वारा समूह 'ख' के पदों पर चयन वर्ष 2021–22 हेतु अधिकतम आयुसीमा में 01 वर्ष की छूट प्रदान की गयी है। इस प्रकार उक्त पदों हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 एवं अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष निर्धारित है। (आयु गणना की निश्चयक तिथि 01 जुलाई, 2022 को उक्त पदों के सापेक्ष आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2001 के पश्चात् तथा 02 जुलाई, 1979 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।)

(2) उच्चतम आयु सीमा में छूट:— विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उप श्रेणी के अनुसार छूट प्रदान की जायेगी।

- (i) उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासनादेश सं० 1399 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
- (ii) उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थियों को शासनादेश सं० 1244/xxx(2)/2005 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा समूह "क" तथा "ख" के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
- (iii) उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश सं० 1244/xxx(2)/2005 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
- (iv) शासनादेश संख्या: 17/2/1981-कार्मिक-2, दिनांक 28 फरवरी, 1985 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को जिन्होंने सेना के आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित, पूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों को जिन्होंने सेना में कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली हो, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट सेवाकाल को आधार मानकर, दी जायेगी। यह छूट उन सैनिकों/अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी जो छः माह की अवधि में कार्यमुक्त होने वाले हों परन्तु निम्नलिखित को अनुमन्य नहीं होगी:-
- (1) जो कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त हुए हों,
 - (2) जो सेना की सेवा में अवगुण समझी जानें वाली शारीरिक अयोग्यता अथवा अशक्तता के कारण सेवामुक्त हुए हों।
- (v) परन्तु यह और कि किसी ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जो पहले से ही किसी राज्य सरकार या संघ सरकार की किसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला में सेवारत हो, ऐसी प्रयोगशालाओं में की गई सेवा अवधि के लिए अभ्यर्थी को उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम पाँच वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

06.राष्ट्रीयता: वैज्ञानिक अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की

अवधि से आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी:— ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, किन्तु ना तो वह जारी किया गया हो और ना देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण—पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

07. चरित्र:— वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी:— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

08. वैवाहिक प्रास्थिति:— वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो;

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

09. शारीरिक स्वस्थता:—किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा, जब मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना न हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जाय।

10. आरक्षण:—(क) उर्ध्वाधर/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्ध्वाधर/क्षैतिज श्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(ख) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019 दिनांक 05.02.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है।

(ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी केवल अनारक्षित श्रेणी (सामान्य श्रेणी) के अंतर्गत ही आवेदन कर सकेंगे।

(घ) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ शासनादेश संख्या 133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009 दिनांक 16.03.2009 के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्यकर्मियों को ही अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या-124/XXX(2)/2020-53(01)/2001 दिनांक 22.05.2020 के प्रस्तर-8 के अनुसार पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संदर्भ में भारत सरकार के O.M. No. 36034/27/84-Estt. (SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease" का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में भी क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी। पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (Affidavit) अपने अन्य अभिलेखों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व तक आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

(च) यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(छ) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के "परिशिष्ट-5" में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ निर्धारित अंतिम तिथि तक अन्य सभी शैक्षणिक अभिलेखों के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख "परिशिष्ट-5" में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

(ज) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर दिया जायेगा।

(झ) आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्या-310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की

अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिये।

(ज) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 179/XXX(2)2021-30(2)/2019, दिनांक 31 अगस्त, 2021 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिसके जैविक/दत्तक पिता-माता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष की अवधि में हुयी हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/शासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

11. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया:-

- (1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in या <https://ukpsc.net.in> पर जायें।
- (2) विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात <https://ukpsc.net.in> पर जाकर **MenuBar** में **Apply Now** लिंक पर क्लिक करें। **Apply Now** page पर Instructions for filling up online application form को सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात **Apply Now** पर क्लिक करें।
- (3) **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात् खुले **Registration** फॉर्म पर अपनी सही जानकारी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Continue** पर क्लिक करें। **Continue** पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी Confirm Filled Information फॉर्म पर प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें।

यदि भरी हुई जानकारी सही है तो I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा No, I want to change some details पर **Tick** कर **Edit Data** पर क्लिक करें एवं संशोधित detail भरने के पश्चात् पुनः **Registration** फार्म Submit करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

- (4) **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर Primary Registration पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered** **Mobile No** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात स्क्रीन पर Click here to login के लिंक पर क्लिक करें।
- (5) **Login** करने के पश्चात Educational Details पर क्लिक कर फॉर्म पर Post Information के अन्तर्गत Post Information में जिस पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं **Tick** करें। एक से अधिक पद के सापेक्ष आवेदन करने की स्थिति में जिस पद/पदों हेतु आवेदन करना चाहते हैं उसके समक्ष **Tick** करें। पद/पदों का चयन करने के उपरान्त चयन किये गये पदों का विवरण Selected Post के अन्तर्गत प्रदर्शित होगा।

फॉर्म पर Educational Qualifications के अन्तर्गत High School, Intermediate, Graduation, etc का विवरण भरकर **Add Education Details** पर क्लिक करें। भरी हुई Education का विवरण **Add Education Details** के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। एक से अधिक Education का विवरण भरने की स्थिति में **Clear** पर क्लिक कर Diploma Graduation/Post Graduation Details etc में Qualification Type में पुनः Graduation/Post Graduation etc का चयन कर विवरण भरकर **Add Education Details** पर क्लिक करें। इसी प्रकार फार्म में प्रदर्शित प्रविष्टियां भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें।

(6) तत्पश्चात् दी गयी Warning का सम्यक अध्ययन कर **Continue** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात् **Upload Images** पर क्लिक कर **Photo** एवं **Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo** एवं **Signature** के अपलोड होने के पश्चात् फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा, घोषणा को **Tick** करने के बाद **Click here for Final Submission** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् **Print Application Form** पर क्लिक कर ऑनलाईन आवेदन का प्रिंटआउट प्राप्त करें।

(7) **Final Submission** के उपरान्त आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (**Cancel**) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। आवेदन रद्द (**Cancel**) करने के लिए **Login** कर **Cancel My Application** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात् एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् घोषणा को **Tick** कर **Proceed to Cancel** बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु **Back** बटन पर क्लिक करें। **Proceed to Cancel** पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसको की **Enter OTP** वाली फील्ड्स पर दर्ज कर **Cancel Application** बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द (**cancel**) करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(8) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित परीक्षा व आयोग द्वारा प्रस्तावित आगामी समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

नोट :1 **Final Submission** किये जाने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में त्रुटि होने की दशा में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी **Email-Id/Mobile Number** एवं **Password** के माध्यम से **Login** करने के पश्चात् **Update Personal Information** पर क्लिक कर, Personal Information , **Update Educational Information** पर क्लिक कर, Educational Qualification एवं **Reload Images** पर क्लिक कर, Photo एवं Signature को पुनः अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नं० को Edit/Update नहीं किया जा सकता। ऑनलाईन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी ukpschelpine@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।

2 **Final Submission** के पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

12. शुल्क:— उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या : 332/XXX(2)/2021/ 55(35)/2003 दिनांक 03 अक्टूबर, 2021 द्वारा कोविड-19 से रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए भर्ती के लिए आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन पत्रों हेतु लिए जाने वाले शुल्क के व्यय भार से आवेदकों को मुक्त करने हेतु दिनांक 31.03.2022 तक आवेदन शुल्क न लिए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत परीक्षा में आवेदकों से आवेदन शुल्क/प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जायेगा।

13. अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार/स्क्रीनिंग परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश:-

- (01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।
- (02) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** एवं प्रथम संशोधन-2016 और **उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2012** यथा संशोधित प्रथम संशोधन-2013, द्वितीय संशोधन-2014, तृतीय संशोधन-2015 एवं चतुर्थ संशोधन-2016 आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
- (03) ऑनलाइन आवेदन-पत्र की छायाप्रति के साथ समस्त वांछित अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को आयोग कार्यालय में जमा किए जायेंगे। आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2019 के आलोक में सम्पन्न की जायेगी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैं:-
- (i) यदि अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र/उपाधि प्रस्तुत नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।
- (ii) अधिमानी अर्हता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में आवेदन को अपूर्ण मानते हुए अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। यदि अधिमानी अर्हता के आधार पर अनर्ह किए गए अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता संबंधी अभिलेख आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं तिथि तक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे अधिमानी अर्हता का लाभ अनुमन्य नहीं होगा किन्तु अभ्यर्थी के अनिवार्य अर्हता से सम्बन्धित अभिलेखों के आधार पर उसकी अर्हता के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
- (iii) यदि आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी होने के कारण उत्तराखण्ड राज्य की सेवा में लागू न होने/ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् जारी होने के कारण स्वीकार्य किये जाने योग्य न हो तो अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।
- (iv) यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में क्षैतिज आरक्षण का दावा किया गया है किन्तु आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् जारी होने के कारण स्वीकार्य किये जाने योग्य न हो तो अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।
- (v) यदि अभ्यर्थी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तो उसे सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(vi) यदि अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य अर्हता के अन्तर्गत अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तो उसे सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। यदि अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र में धारित अनुभव विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण नहीं है अथवा उसके पश्चात धारित है तो ऐसे अभ्यर्थी को अनिवार्य अनुभव धारित नहीं माना जायेगा। अनुभव प्रमाण-पत्र में विभागीय संदर्भ संख्या एवं विभागीय सक्षम अधिकारी का पदनाम व स्पष्ट हस्ताक्षर दिनांक सहित होना आवश्यक है।

अभ्यर्थी ध्यान रखें कि स्क्रीनिंग/साक्षात्कार परीक्षा के पूर्व/तत्समय आवेदन-पत्र/प्रमाण-पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(04) केवल वही अभ्यर्थी साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित किए जायेंगे, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट की छायाप्रति के साथ समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण, स्थाई-निवास, विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र, नाम में भिन्नता सम्बन्धी शपथपत्र आदि से संबंधित समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रमाणपत्रों/अभिलेखों की वैध छायाप्रतियाँ आयोग में निर्धारित तिथि तक जमा कर दी गयी हों तथा आयोग में प्राप्त उक्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2019 यथा संशोधित के आलोक में अर्ह पाया जाएगा। उक्त सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2019 आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

(05) रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु साक्षात्कार के पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) विषयवार/अनुभागवार आयोजित करायी जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के माध्यम से साक्षात्कार हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों का आयोग द्वारा साक्षात्कार पूर्व सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त करते हुए साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(06) स्क्रीनिंग परीक्षा होने की दशा में अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर प्रसारित की जायेगी। यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या

आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की ई-मेल ukpschelpine@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।

- (07) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।
- (08) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार में बुलाये जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को साक्षात्कार/स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए बुलाये जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता है। स्क्रीनिंग परीक्षा की दशा में वस्तुनिष्ठ प्रकृति का विषयवार /अनुभागवार प्रश्नपत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी। स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।
- (09) स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार एवं हल्द्वानी नगर (अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर केवल हरिद्वार) के परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी।
- (10) प्रश्नगत पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में साक्षात्कार से पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जायेगी। वैज्ञानिक अधिकारी हेतु विषयवार /अनुभागवार स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परिशिष्ट-1 में उल्लिखित पाठ्यक्रम पर आधारित होगी, जिसमें 02 घंटे की समयावधि में 200 अंको के 100 प्रश्नों का उत्तर दिया जाना निर्धारित/प्रस्तावित है। प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी। स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।
- (11) गलत उत्तरों के लिए दण्ड – वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा –
- (क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।
- (ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा; यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।
- (ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।
- (12) स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त

आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रू0 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो आयोग द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

- (13) स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।
- (14) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।
- (15) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित – कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
- (16) परीक्षा केन्द्र में आचरण – कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर-पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।
- (17) अँगूठे का निशान(Thumb Impression)—सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बायें अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।
- (18) स्क्रीनिंग परीक्षा (यदि आयोजित होती है तो) में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों की संख्या के सापेक्ष नियमानुसार अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु सफल घोषित किया जायेगा। स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक, अंतिम चयन परिणाम में साक्षात्कार के अंकों के साथ नहीं जोड़े जायेगे तथा अंतिम चयन परिणाम मात्र साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर नियमानुसार (आरक्षण आदि का लाभ देते हुए) घोषित किया जायेगा। स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार का परिणाम आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर प्रदर्शित

कराया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी।

- (19) साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों से संबंधित शैक्षणिक/आरक्षण/अनुभव/विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि के प्रमाण पत्र संलग्न कर साक्षात्कार तिथि को आयोग के अधिकारियों के समक्ष परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आवेदन पत्र एवं अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे। इस संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित कर अभ्यर्थियों को सूचित किया जायेगा।
- (20) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को ही मेरिट लिस्ट हेतु विचारित किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंकों का विवरण **परिशिष्ट-2** पर उल्लिखित है।
- (21) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें। जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।
- (22) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।
- (23) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश-पत्र/साक्षात्कार ज्ञाप जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
- (24) हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- (25) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** यथा संशोधित -2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
- (26) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:- अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें

और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

- (27) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा:—1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कुटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बात लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक

कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

- (28) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) एवं पते का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।
- (29) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।
- (30) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (31) अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in का समय-समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।
- (32) सम्बन्धित पदों हेतु परीक्षा/चयन परिणाम संगत सेवा नियमावली में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा।
- (33) अभ्यर्थी स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार के दौरान, अपने ऑनलाइन आवेदनपत्र में उल्लिखित आई0डी0 अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उक्त आई0डी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (34) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारूपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।
- (35) आयोग द्वारा प्रश्नगत पदों का चयन परिणाम, विज्ञापित पदों हेतु विहित संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

—sd—
(कर्मन्द् सिंह)
सचिव।

“परिशिष्ट-1”

Syllabus for Scientific Officer (SO) in Home Department (Screening Examination-Objective Type)

Number of Total Question: 100

M.M: 200

Time Duration: 02 hours

Physics and Ballistics Division

PART- A : PHYSICS

Mechanics:

Motion in a plane, cases of uniform velocity and uniform acceleration, Projectile motion, Equations of motion of projectiles, principle problem of exterior ballistics, vacuum trajectory- calculation of various elements, effect of air resistance on trajectory, uniform circular motion, law of conservation of linear momentum and its applications, Dynamics of uniform circular motion, centripetal force and its examples.

E.M.Waves:

Displacement current, E.M. waves and their characteristics, Transverse nature of E.M. wave, Electromagnetic spectrum, Maxwell's equations in free space and linear isotropic media, boundary conditions on the fields at interfaces, scalar and vector potentials, E.M. waves in free space, Poynting vector.

Optics:

Reflection of light, spherical mirrors, mirror formula, refraction of light, Total internal reflection and its applications, Optical fibers, Refraction at spherical surfaces, lenses, Magnification power of a lens, combination of thin lenses in contact.

Optical instruments: Human eye, image formation and accommodation, Microscopes and astronomical telescopes and their magnifying powers. Resolving power of microscopes and telescopes, Polarization, plane polarized light and its uses, circularly polarized light, Elliptically polarized light, Polaroids.

Wave & Acoustics:

Wave motion, Longitudinal and transverse waves, speed of wave motion, displacement relation for a progressive wave, principle of superposition of waves, Reflection of waves, Beats, Doppler effect.

Acoustics: Generation of ultrasonic waves and applications, Piezo electric effect and quartz crystal, energy density of acoustic waves, acoustic intensity, Reflection and transmission of acoustic waves, Acoustics of buildings, reverberation time, Sabine's formula.

Atomic & Molecular Physics: Stern-Gerlach experiments, electron spin, fine structure of hydrogen atom, L-S coupling, j-j coupling, Spectroscopic notations and atomic states, Zeeman effect, Rotational, vibrational and electronic spectra of molecules, Raman effect and molecular structure, Laser Raman spectroscopy, Fluorescence and Phosphorescence, Theory and application of NMR and EPR.

UV and Visible spectrophotometry: types of sources, stability, wavelength selection, filter cells, sampling devices, Lambert and Beers Law, Calibration of instrument, Atomic absorption spectrophotometry.

Lasers: Spontaneous and stimulated emission. Einstein's Coefficients, optical pumping, population inversion; Solid state laser and Gas lasers.

Nuclear Physics:

Basic nuclear properties, semi empirical mass formula and applications, Mass parabolas: Ground state of a deuteron, magnetic moment and non central forces, Meson theory of nuclear forces, salient features of nuclear forces, Shell model of the nucleus- success and limitation, violation of parity in β -decay, r - decay and internal conversion, Mossbauer spectroscopy, Q-value of nuclear reactions, Nuclear fission and fusion, Nuclear reactors.

Solid State Physics:

Crystalline and amorphous structure of matter, Different crystal systems, Methods of determination of crystal structure, X-ray diffraction, Scanning and transmission electron microscope (SEM/TEM); Band theory of solids- conductors, insulators and semi conductors; Thermal properties of solids, specific heat, Debye theory; Magnetism: dia, para and ferro magnetism, superconductivity, Energy dispersive X-ray, Atomic force microscope, Dispersive X-ray analysis (EDX), Wavelength dispersive X-ray analysis (WDX).

Electronic:

Semiconductor devices: diodes, transistors, field effect devices, amplifiers and oscillator circuits, frequency dependence and applications; optoelectronic devices: solar cells, photo-detectors, LED's, Operational amplifiers and their applications.

Logic circuits: OR, AND, NAND, NOT, NOR, XOR gates; Digital techniques and applications: Registers, counters, comparators and similar circuits. Flip-flops: RS, JK, Master- Slave JK, T-type and D-type flip-flops. Half adders and full adders, Decoders, Multiplexers, Encoders, digital comparators, A/D and D/A converters.

PART- B : Forensic Ballistics and Physics

History of fire arms and ammunitions, classifications- shotguns, rifles, revolvers, pistols, carbines, improvised fire arms, Bore and calibre, choke, automatic mechanism in small arms, rifling, primers, propellants, shotgun ball ammunition, head stamp markings, proof firing, various physical ballistic and functional tests of ammunitions, Bullets, Handling of evidence and precautions, factors affecting internal ballistics of projectiles, recoil, base-drag, Yaw, cross-wind force, overturning moments, stability-fix, stabilization and gyroscopic stability, stability factor, nutation and precessional motions of bullets, drift, Magnus effect, Greenhill formula, shape of projectile, ballistic coefficient, use of ballistic tables, projectile velocity determination, Doppler-radar method, Automated system of trajectory computation, limiting velocity, drop of falling bullets, use of lead as bullet material.

Terminal Ballistic-interaction and penetration of various projectiles in various tissues, Threshold velocity for penetration of skin, flesh and bones, threshold energy, casualty criteria, energy density, ricochet, wound ballistics, Temporary and permanent cavities, materials simulating human body, striking velocity, nature of target, tumbling of bullet, effect of instability of bullet, effect of intermediate target. Influence of range, identification of gunshot injuries, characteristics of firing bullets and cartridge cases, comparison microscope, photomicrography, linkage of fire shots with shotguns, Determination of range of firing, factors affecting range of firing, stringing of shots, effect of string on pattern, Cart-wheel pattern, balling, walker's test, IR photography.

Chemical tests for examination of shotgun holes, Gunshot residue, identification of shooter. Reconstruction of events in crimes, firing through glass, determination of directions of firing and sequence of shots. Pellet pattern in various targets.

Instrumentation Techniques: AAS, NAA, ICP-MS, Comparison microscopes, ASV and their applications. Arms act and arms rule 2016.

Evidence collection from crime scene, Homicide, Hanging, Stagnation, write blockers, Imaging of storage media and capturing of volatile evidence in computer fraud and cyber crime, Audio and video, CCTV footage, Paint, Glass, Soil, Fibre, Wildlife crime, Metals identifications, packing and preservation of exhibits, packaging and transportation of digital and electronic evidence, Tool marks, Phenomena of absorption, emission, reflection. Thermal detectors, photographic detectors, photoelectric detectors, Basic concept of atomic spectra, energy levels, quantum numbers, designation of states, selection rules and atomic spectra.

Basic principles and theory of nuclear reactions and radiation, Neutron sources and Neutron Activation Analysis.

Molecular binding, molecular orbital, types of molecular energies, spectra of polyatomic molecules. FTIR, Biometrics and forensic science-face, Iris and retinal imaging, speech recognition, finger prints, Automated Finger Identification System (AFIS), Lip prints, ear prints, Gait pattern, blood stain patterns, Foot prints and footwear impressions and seal impressions, Restoration of erased marks, cast, engraved and punched marks, skid marks, principle and techniques of black and white and coloured Forensic photography, cameras and lenses, working of SLR and DSLR cameras, basics of digital imaging photography, digital photography, photo-morphing, types and videography camera and lenses, basics of video codec and file formats, recording of playback technique of analog video recording, Units of measurements and their conversion, measure of mean, median and mode, Measures of Dispersion, Range, Mean deviation and Standard deviation, Correlation and Regression Analysis, Coefficient of variation, moment, coefficient of Regression, Correlation measurements, Probability theory, Test of significance of attributes, sample test, t-test and comparison of data sets, paired test, chi-square test, F-test for equality of variance, Large sample test, Normal test, Pearson's square test, Derivation, Evaluation of evidence, Transfer of evidence, weight of evidence. Correspondence probabilities, analysis and synthesis of complex waves, anatomy of vocal formats, analysis of vocal sounds, frequency and overtones.

Electronics of audio recording, transmission and playback devices, noise and distortion, voice storage, and preservation, Forensic linguistics: phonetics, morphology, syntax, Semantics, Stylistics, Pragmatics, Script, Orthography and Graphology, difference between language and speech, Psycholinguistics, Neuro linguistics, Sociolinguistics, Scientific approaches; Reliability and admissibility of evidence in the court, Linguistic profile, language register. Discourse analysis: Connivance, acceptance, listening feedback and rejection in the context of Mens-Rea, Narrative, Dialectology, linguistic variety as a geographical marker, Idiolect and speaker characterisation, Phonology, Morphology and word formation processes as individual linguistic abilities.

Various approaches in forensic speaker identification, Instrumental analysis of speech sample, interpretation of result, statistical interpretation of probability scale, Objective

/Subjective methods, discriminating test, closed test, open test, likelihood ratio calculation, concept of test and error identification. Techniques and best practices of examination of audio recording authentication.

Introduction to Video technology: Electronic photography, Scanning, synchronising the analog signal, digital signal processing, colour video, Digital Television standard, HD Video scopes, compression, Image acquisition and recording formats, optical media, Time code, Audio for video, Displays.

Scope recognising CCTV evidence and its nature, types of DVRs, DVR recording, best practices of CCTV evidence, evidence retrieval and storage at scene of crime and laboratory, challenges and precaution at the scene of crime, Legal issues and recommended equipments needed collection, recovery, enhancement, analysis and interpretation of video evidence. Facial image recognition, Vehicle registration plate enhancement, Foreign object detection, Authentication of video evidence, video source identification techniques.

Introduction to nano-particles, nano-tubes, utilisation of nano-technology in analysis of physical evidences, application of nano technology in forensic evidence analysis.

Faults and failure of evidence of Arson and fire due to electrical and mechanical faults/failure, 3-phase electricity and earth faults.

Forensic engineering: Cement, Building materials, steel bars and metal Physics.

Note : Each Multiple choice question shall be of 02 Mark.

Syllabus for Scientific Officer (SO) in Home Department
(Screening Examination-Objective Type)

Number of Total Question: 100

M.M: 200

Time Duration: 02 hours

Chemistry, Explosives and Toxicology, Narcotics Division

General Chemistry:

Atomic structure and periodic properties of elements. Chemical bonding, IUPAC nomenclature of organic compounds and coordination complexes. Isomerism and stereochemistry including coordination compounds, conformational analysis, and chirality. Reactive intermediates and organic reaction mechanism, concept of aromaticity. Qualitative and quantitative analysis, mole concept, normality, molarity, molality, mole fraction and their calculations. VSEPR Theory, hybridization and shapes of molecules. Transition and inner transition metals, coordination chemistry, concept of acids and bases, pH and its measurements.

Inorganic Chemistry:

Coordination Chemistry: Valence bond theory, molecular orbital theory, crystal field theory and ligand field theory of coordination compounds. Absorption spectra and magnetic properties of transition metal complexes.

Inorganic Polymers : Silicones and phosphazenes

Bioinorganic Chemistry: porphyrin ligands and metalloporphyrins, chlorophyll, myoglobin and haemoglobin, Bohr effect, role of Na^+ , K^+ , Mg^{2+} and Ca^{2+} in biological system, Na^+ - K^+ pump, toxic effects of some metals, ATP, metalloenzymes and biological catalyst.

Organometallic compounds: Hapticity, nature of metal-carbon bond, organometallic compound of Li, Be, Mg, Al, Ge, Sn, Pb, Zn, Cd, Hg, π -metal ethylene, acetylenic and π -allylic complexes.

Organometallic compounds of transition metals with butadiene (C_4H_6), metallocenes $[\text{M}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2]$ and Ferrocene $[\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)_2]$, uses of organometallic compounds.

Analysis of dyes and pigments. fertilizers, pesticides, cement and glasses.

Organic Chemistry:

Principle and applications of photochemistry, Jablonski diagram, quantum yield, photo sensitization reactions, Norrish-I & Norrish-II, Pericyclic and Free radical reactions. Common reagents used in organic synthesis.

Chemistry of natural products, such as steroids, alkaloids, terpenoids, peptides and carbohydrates.

Organic name reactions: Aldol reaction, Diel's-Alder reaction, Benzoin condensation, Pinacol-pinacolone rearrangement, Favorski rearrangement, coupling reactions such as: Suzuki, Heck, Stille, Sonagashira, Sharpless epoxidation, Wolf rearrangement, Vilsmeier Haack reaction, Stobbe reaction.

Basic principles of green chemistry, green reagents, phase transfer and nano catalysts. Calculation of atom economy and E-factor. Color & Dyes, concept of therapeutic index and drug classification. Drug poison and medicines. Drug design based on chemical modification.

Physical Chemistry:

Nuclear chemistry types of radiation and radioactive decay. Detection and measurement of radio activity. The group displacement law. Rate of radioactive decay. Half and average life of radioactive decay. Nuclear fusion and fission reactions and their applications. Classification of colloids. Chemistry of lyophilic and lyophobic sols. Preparation and purification of sols. Optical properties of sols Tyndal effect. Kinetic properties, Brownian movement, electrical properties of sols. Electrophoresis, gold number. Cleaning action of soap and detergents. Applications of colloids. Types and mechanism of adsorption isotherm. Langmuir adsorption isotherm. Qualitative interpretation of BET theory. Application of adsorption. Chemical Kinetics, Order and molecularity of reaction. Pseudo order, zero order, first and second order reactions. Half life period of a reaction. Determination of order of reaction. Effect of temperature on reaction rate. Activation energy. Catalysis. Theories of catalysis (intermediate compound and adsorption theories). Mechanism and kinetics of catalysis. Characterization of enzyme catalyzed reactions.

Dilute solutions. Colligative properties and molecular weight determination. Real and ideal solutions. Solubility of partially miscible liquids. Theory of fractional distillation, steam-distillation and azeotropes. Physical properties and molecular structure: Polarization (Classius-Mosotti equation). Orientation of dipoles, dipole moment and ionic character. Dipole moment and its measurement. Dipole moment and structure of molecules. Induced dipole moment. Optical activity and chemical constitution. Magnetic properties (Para, dia and ferromagnetic).

Concept of acids and bases (Arrhenius, Bronsted- Lowry and Lewis- concept). Relative strength of acids and bases, pH and its measurements. pH- scale. Buffer solutions and their pH calculations. Acid-Base indicators. Choice of indicators and their Theory (Ostwald and Quinonoid theories). Color change, hydrolysis-definition and its qualitative aspect. Relation between hydrolysis constant and degree of hydrolysis. Determination of degree of hydrolysis. Application of solubility product principle in qualitative analysis.

Instrumentation/Analytical Chemistry:

Chromatographic techniques. General principles of paper chromatography, column chromatography, TLC, gas chromatography, HPTLC & HPLC for identification and quantification. Basis concept, principles and application of spectroscopic techniques viz. UV-Visible, IR, FTIR, Raman and NMR and Mass spectrometry.

X-ray diffraction, fluorescence analysis, TGA, DTA, GC-MS. Theory and principles of electrophoresis and titrimetric analysis.

Analysis of dyes and pigments, fertilizer, cement and glass.

Forensic Toxicology:

Forensic Toxicological examination and its significance: Branches of toxicology: Introduction and scope. Classification of poisons: based on their origin, mode of action, chemical nature, sign and symptoms of poisons. Laws related to poison. Poison Act 1919 and Drugs Act 1940 & 1955. Different methods of extraction for volatile poison of organic & Inorganic nature from biological matrix.

Identification and estimation of poison and drugs using colour test, thin layer chromatography, GC, GCMS, UV-visible, I.R. and LC-MS techniques.

Analysis of gaseous and volatile poisons, toxic metals, anions, organo-chloro, organo-phosphorous, carbamate, pyrethroids, aluminum and Zinc phosphide.

Methods of analysis of common acidic, neutral and alkaline drugs & poisons.

Various path of metabolism of common poison, their distribution and method of extraction, isolation and identification of metabolites.

Identifications of food poison, plant poison and animal poison.

Forensic Chemistry:

Analysis of alcohol: Country made, illicit liquor & medicinal preparations. Analysis of various denaturants of alcohol, detection & determination of ethanol, methanol, aldehyde, ester by colour test & instrumental techniques.

Analysis of metals and alloys, petroleum products and their adulteration. Method of identification of inflammable materials, Analysis of trap cases, mechanism of colour reaction, detection of phenolphthalein. Comparison of dyes in fibres and different inks by TLC & UV- Vis spectrophotometer.

Classification of explosive;- primary, secondary or high explosive, detonators, pyrotechniques, propellant IEDs and their firing mechanism.

Methods for extraction of explosive from post blast materials/debris, qualitative analysis of explosive and explosion residues by colour test, TLC/HPTLC, HPLC, IR, & LC-MS techniques.

Narcotic & psychotropic substance; including depressants, stimulants, hallucinants, barbiturates benzodiazepines, designer drugs & club drugs etc; their sampling and analysis using colour test, TLC & further confirmation by HPTLC, UV-Vis., GC-MS, HPLC, LC-MS and I.R.

Detection of common adulterants & determination of percentage purity in seized sample.

Note : Each Multiple choice question shall be of 02 Mark.

Syllabus for Scientific Officer (SO) in Home Department
(Screening Examination-Objective Type)

Number of Total Question: 100

M.M: 200

Time Duration: 02 hours

Biology and DNA division

ZOOLOGY:

Animal Diversity: Invertebrates and vertebrates.

Anatomy and morphology of body organs of vertebrates and human.

Histology: Epithelium and glands; classification of epithelia, types of glands; their classification and functions; connective tissues; fibers of connective tissues; functions of connective tissues; structure and functions of cartilage and bones.

Osteology: Skeletal terminology; gross morphology of bones; basic human skeletal system.

Animal physiology with special reference to humans: Digestive; respiratory; endocrine; nervous; excretory; Reproductive; cardio-vascular; neuromuscular systems; sense organs; immune system; homeostasis.

Mammalian Embryology: Human embryology; Ageing; death; Regeneration and senescence.

BOTANY:

Plant classification systems, External and Internal Morphology of plants. Palynology and oncology, Seeds, Fruits and their dispersal. Plant tissues various poisonous plants: Abrus precatorius, Aconitum napellus, Argemone mexicana, Calotropis procera, Cannabis sativus, Claviceps purpurea, Croton tiglium, Erythroxylon cacao, Atrpa belladonna, Jatropha curcus, Ricinus communis, Strychnos nux vomica, Thevetia nerifolia, Neruum odoratum, Manihot utilissima, Cinchona officinalis, Daturra stramonium, Nicotiana tobaccum, Psalliota (mushroom) etc.

Male and female reproductive organs of plants, Economic importance of food, sugar, fibers, timber, medicines, beverages and oil yielding plants. Elementary knowledge of toxic algae, diatoms. Fungi, mosses, ferns, lichens, cycads, conifers, viruses, bacteria and PPLO. Fossils, Plant responses to biotic and abiotic stresses (salt, drought, water logging etc) mineral nutrients and soilless culture.

CELL BIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY:

Membrane structure and functions: role of cell membrane and transport of materials into and out of cell; cell organelles; cytoskeleton; nucleus; chromosomes; protein synthesis and its control; karyotyping; cell cycle and cell division; sex chromosomes and sex chromatin; tumors and cancer; molecular structure of DNA and RNA; DNA replication; DNA damage and repair; structure and functions of different RNAs; cell death; Hormonal receptor, cell signaling, cell surface receptors and secondary messengers.

MICROBIOLOGY:

Ultrastructure of microbes (bacteria and viruses); culture of bacteria; microbial diseases; microbial genetics, methods of genetic transfers, transformation, transduction, conjugation, sex-duction; micro-organism encountered in biological warfare.

BIOCHEMISTRY:

Structure, functions and metabolism of different biomolecules; Enzymes, their classification, regulation and kinetics; Isozymes and co-enzymes; stabilizing interactions (Van der Waals, hydrogen bonding and other interactions); Biophysical chemistry (pH, buffers, Reaction kinetics, thermodynamics, bioenergetics, ATP and high energy compounds, oxidative phosphorylation); blood coagulation; molecular mechanism of hormonal action.

GENETICS, BIOTECHNOLOGY AND BIOINFORMATICS:

Human genetic variations; Human chromosomes; Mendelian and non-Mendelian inheritance; inheritable human diseases; gene mapping and genetic risk assessment; gene pool; Hardy Weinberg equilibrium; deviation from Hardy Weinberg equilibrium; inbreeding; genotypes; phenotypes; mutation; multiple alleles; genetic variants; gene structure; gene expression; genetic markers and their significance; linkage and crossing over; sex determination; sex linked and sex influenced characters; human pedigree analysis; polygenic inheritance; gene identification and prediction tools; major data-basis in bioinformatics.

Gene cloning and genetic engineering; r-DNA technology; Genomics and proteomics; Epigenetics;

METHODS AND INSTRUMENTATION IN BIOLOGY:

Analysis of DNA, RNA and proteins by one and two dimensional gel electrophoresis; Iso-electric focusing gels; molecular cloning of DNA and RNA, DNA sequencing methods; Isolation, separation and analysis of carbohydrates, proteins and lipid molecules, ELISA, RIA, western blot methods; flow cytometry and immune fluorescence microscopy; cell molecule detection and in-situ localization by FISH and GISH techniques; molecular analysis using UV/visible fluorescence, mass spectroscopy and surface plasma resonance methods; electrophoresis; different microscopes including scanning and transmission microscopes.

ORIGINA OF LIFE AND EVOLUTION:

Origin of life; evidences of evolution; modern theory of evolution; evolution of man.

ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL:

Structure and functions of ecosystem; concept of habitat and niche; population and community ecology; laws of limiting factors; pollution and eutrophication; green house effect, Global warming and climate change; ozone depletion; Biodiversity and its management; conservation of natural resources (Renewable and non-renewable resources); sustainable development.

FORENSIC BIOLOGY/SEROLOGY/DNA/PROFILING:

History and development of forensic science in India and abroad-scope of F.Se. need of forensic science, basic principles of forensic science, tools and techniques, criminal profiling.

Organization set up of forensic science laboratory, FBI, CFSL, FSL, NICFS, NCRB (Maintenance of crime Records, Mobile forensic science, Branches of forensic Science, IEA sec. 45, Cr.P.C. 293.

Importance nature, location, collection and evaluation of biological material (blood, saliva, semen hair examination, application of blood groups and isozyme types in Forensic science.

History and development of finger prints science for personal identification, variations in finger prints, causes and genetic basics of taking inked prints, devices and material for searching prints, classification of finger prints, pattern types, Henry system of classification (primary to tertiary and key classification) Henry system searching of fingers prints, classification system, single prints, chance prints, latent prints, development of latent finger prints, systematic approach to latent print processing, preserving and lifting of finger prints, comparison of finger prints, basic of comparison, class and individual characteristics, various types of ridge characteristic, AFIS, Presentation of expert evidence on finger prints in court.

Wildlife forensics: Introduction, importance, wild (Protection) Act-1972, Protected and endangered species of animals and plants, identification of wild life materials (skin, fur, bones, nail, horn, teeth, plants, plant parts and product by conventional and modern methods, DNA techniques in wildlife investigation.

forensic entomology: Introduction, General entomology and arthropod biology, insects of forensic importance, collection of entomological evidence during death investigations, role of aquatic insects in forensic investigations, insect succession on carrion and its relationship to determine time since death, factors influencing insect succession on carrion its application to forensic entomology, entomotoxicology, insects as toxicological indicators, impact of drugs and toxins on insect development, molecular methods for forensic entomology.

Botanical evidences: introduction, types, location collection, evaluation and forensic significance; wood (type of wood, their identification and comparison) leaves (identification of various types of leaves and their anatomy, methods of comparison fibers classification and identification of fibers.

Pollens- Importance, structure, function, methods of identification and comparison.

Lectins: forensic significance.

forensic diatomology: Diatoms Nature, location structure, extraction from various body tissues including bone marrow, preparation of slides, methods of identification and comparison, forensic significance.

Forensic microbiology: types and identification of microbial organism of forensic significance

forensic medicine- seasonal offences and causes signs of death and changes of death, time since death, medico legal aspect of death.

DNA profiling: History of DNA typing, human genetics, heredity, alleles, mutations and population genetics, molecular biology of DNA, variation and polymorphism in DNA.

DNA typing systems: RFLP analysis, PCR amplifications sequence polymorphism, analysis of SNP, Y-STR, Mitochondrial DNA, DNA Bar-coding for species identification, evaluation interpretations, allele frequency determination, match probability database, quality control, certification and accreditation.

Forensic significance of DNA profiling: applications in disputed cases, child swapping, missing person's identity, civil immigration, wildlife and mass disaster victim identification.

legal perspectives: legal standards for admissibility of DNA profiling, procedural and ethical concerns, status of development of DNA profiling in India and abroad and new future technologies DNA chips, SNPs and limitations of profiling.

DNA binding proteins, factors affecting DNA, transcription and translation, pseudo genes, non coding genes, overlapping genes, status and development of DNA profiling CODIS.

Isolation, quantification and quality assessment of DNA from hard and soft tissues, biological materials, Touch and trace DNA, collection preservation and packing of exhibits for DNA Avalos.

PHYSICAL ANTHROPOLOGY:

- **Forensic Anthropology:** Definition, scope and problems. comparative skeletal anatomy of human and non-human. Classification of bones. Identification of bones and determination of site, age determination from skeletal remains. General considerations, suture closure in skull and ossification in other bones. Sex determination from skeletal remains: skull, pelvis and other bones. Estimation of stature from skeletal remains with special reference to long bones.
- Personal identification techniques as somatoscopy, somatometry, osteometry and craniometry, their importance. Portrait Parle/Bertillon system. for Forensic Composite imagery: photofit/identi kit system for facial reconstruction. Craniofacial superimposition techniques as photographic superimposition. Video-superimposition. Roentgenographic superimposition. Importance of tissue depth to reconstruct various facial features/genetic and congenital anomalies: causes, types, identification and their forensic significance.
- **Forensic odontology and serology:** Development and scope, role in mass disaster and anthropology, structural variation in teeth (human and non-human), types of teeth and their functions, determination of age from teeth, eruption sequence. Gustafson's method, dental anomalies, their significance in personal identification.
- Application of serology in solving cases of disputed paternity, theft, rape, murder, etc. ABO, MN and Rh blood-groups and their inheritance. Blood groups determinations techniques, species origin and polymorphism from blood stains and other body fluids.
- **Forensic Genetics:** Human hereditary traits, dominant, codominant, recessive, sex-limited, sex-linked. Genetical hazards and counseling. Identification of twins: monozygotic and dizygotic.

Note : Each Multiple choice question shall be of 02 Mark.

Syllabus for Scientific Officer (SO) in Home Department
(Screening Examination-Objective Type)

Number of Total Question: 100

M.M: 200

Time Duration: 02 hours

Serology and DNA division

ZOOLOGY:

Animal Diversity: Invertebrates and vertebrates.

Anatomy and morphology of body organs of vertebrates and human.

Histology: Epithelium and glands; classification of epithelia, types of glands; their classification and functions; connective tissues; fibers of connective tissues; functions of connective tissues; structure and functions of cartilage and bones.

Osteology: Skeletal terminology; gross morphology of bones; basic human skeletal system.

Animal physiology with special reference to humans: Digestive; respiratory; endocrine; nervous; excretory; Reproductive; cardio-vascular; neuromuscular systems; sense organs; immune system; homeostasis.

Mammalian Embryology: Human embryology; Ageing; death; Regeneration and senescence.

BOTANY:

Plant classification systems, External and Internal Morphology of plants. Palynology and oncology, Seeds, Fruits and their dispersal. Plant tissues various poisonous plants: Abrus precatorius, Aconitum napellus, Argemone mexicana, Calotropis procera, Cannabis sativus, Claviceps purpurea, Croton tiglium, Erythroxylon cacao, Atrpa belladonna, Jatropha curcus, Ricinus communis, Strychnos nux vomica, Thevetia nerifolia, Neruum odoratum, Manihot utilissima, Cinchona officinalis, Daturra stramonium, Nicotiana tobaccum, Psalliota (mushroom) etc.

Male and female reproductive organs of plants, Economic importance of food, sugar, fibers, timber, medicines, beverages and oil yielding plants. Elementary knowledge of toxic algae, diatoms. Fungi, mosses, ferns, lichens, cycads, conifers, viruses, bacteria and PPLD. Fossils, Plant responses to biotic and abiotic stresses (salt, drought, water logging etc) mineral nutrients and soilless culture.

CELL BIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY:

Membrane structure and functions: role of cell membrane and transport of materials into and out of cell; cell organelles; cytoskeleton; nucleus; chromosomes; protein synthesis and its control; karyotyping; cell cycle and cell division; sex chromosomes and sex chromatin; tumors and cancer; molecular structure of DNA and RNA; DNA replication; DNA damage and repair; structure and functions of different RNAs; cell death; Hormonal receptor, cell signaling, cell surface receptors and secondary messengers.

MICROBIOLOGY:

Ultrastructure of microbes (bacteria and viruses); culture of bacteria; microbial diseases; microbial genetics, methods of genetic transfers, transformation, transduction conjugation, sex-duction; micro-organism encountered in biological warfare.

BIOCHEMISTRY:

Structure, functions and metabolism of different biomolecules; Enzymes, their classification, regulation and kinetics; Isozymes and co-enzymes; stabilizing interactions (Van der Waals, hydrogen bonding and other interactions); Biophysical chemistry (pH, buffers, Reaction kinetics, thermodynamics, bioenergetics, ATP and high energy compounds, oxidative phosphorylation); blood coagulation; molecular mechanism of hormonal action.

GENETICS, BIOTECHNOLOGY AND BIOINFORMATICS:

Human genetic variations; Human chromosomes; Mendelian and non-Mendelian inheritance; inheritable human diseases; gene mapping and genetic risk assessment; gene pool; Hardy Weinberg equilibrium; deviation from Hardy Weinberg equilibrium; inbreeding; genotypes; phenotypes; mutation; multiple alleles; genetic variants; gene structure; gene expression; genetic markers and their significance; linkage and crossing over; sex determination; sex linked and sex influenced characters; human pedigree analysis; polygenic inheritance; gene identification and prediction tools; major data-basis in bioinformatics.

Gene cloning and genetic engineering; r-DNA technology; Genomics and proteomics; Epigenetics;

METHODS AND INSTRUMENTATION IN BIOLOGY:

Analysis of DNA, RNA and proteins by one and two dimensional gel electrophoresis; Iso-electric focusing gels; molecular cloning of DNA and RNA, DNA sequencing methods; Isolation, separation and analysis of carbohydrates, proteins and lipid molecules, ELISA, RIA, western blot methods; fluorescence microscopy and immune fluorescence microscopy; cell molecule detection and in-situ localization by FISH and GISH techniques; molecular analysis using UV/visible fluorescence, mass spectroscopy and surface plasma resonance methods; electrophoresis; different microscopes including scanning and transmission microscopes.

ORIGIN OF LIFE AND EVOLUTION:

Origin of life; evidences of evolution; modern theory of evolution; evolution of man.

ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL BIOLOGY:

Structure and functions of ecosystem; concept of habitat and niche; population and community ecology; laws of limiting factors; pollution and eutrophication; green house effect, Global warming and climate change; ozone depletion; Biodiversity and its management; conservation of natural resources (Renewable and non-renewable resources); sustainable development.

FORENSIC BIOLOGY/SEROLOGY/DNA/PROFILING:

History and development of forensic science in India and abroad- scope of F.Sc. need of forensic science, basic principles of forensic science, tools and techniques, criminal profiling.

Organization set up of forensic science laboratory, FBI, CFSL, FSL, NICFS, NCRB (Maintenance of crime Records, Mobile forensic science, Branches of forensic Science, IEA sec. 45, Cr.P.C. 293.

Importance nature, location, collection and evaluation of biological material (blood, saliva, semen hair examination, application of blood groups and isozyme types in Forensic science.

History and development of finger prints science for personal identification, variations in finger prints, causes and genetic basics of taking inked prints, devices and material for searching prints, classification of finger prints, pattern types, Henry system of classification (primary to tertiary and key classification) Henry system searching of fingers prints, classification system, single prints, chance prints, latent prints, development of latent finger prints, systematic approach to latent print processing, preserving and lifting of finger prints, comparison of finger prints, basic of comparison, class and individual characteristics, various types of ridge characteristic, AFIS, Presentation of expert evidence on finger prints in court.

Wildlife forensics: Introduction, importance, wild (Protection) Act-1972, Protected and endangered species of animals and plants, identification of wild life materials (skin, fur, bones, nail, horn, teeth, plants, plant parts and product by conventional and modern methods, DNA techniques in wildlife investigation.

forensic entomology: Introduction, General entomology and arthropod biology, insects of forensic importance, collection of entomological evidence during death investigations, role of aquatic insects in forensic investigations, insect succession on carrion and its relationship to determine time since death, factors influencing insect succession on carrion its application to forensic entomology, entomotoxicology, insects as toxicological indicators, impact of drugs and toxins on insect development, molecular methods for forensic entomology.

Botanical evidences: introduction, types, location collection, evaluation and forensic significance; wood (type of wood, their identification and comparison) leaves (identification of various types of leaves and their anatomy, methods of comparison fibers classification and identification of fibers.

Pollens: Importance, structure, function, methods of identification and comparison.

Lectins: forensic significance.

forensic diatomology: Diatoms Nature, location structure, extraction from various body tissues including bone marrow, preparation of slides, methods of identification and comparison, forensic significance.

Forensic microbiology:- types and identification of microbial organism of forensic significance

forensic medicine- seasonal offences and causes signs of death and changes of death, time since death, medico legal aspect of death.

DNA profiling: History of DNA typing, human genetics, heredity, alleles, mutations and population genetics, molecular biology of DNA, variation and polymorphism in DNA.

DNA typing systems: RFLP analysis, PCR amplifications sequence polymorphism, analysis of SNP, Y-STR, Mitochondrial DNA, DNA Bar-coding for species identification, evaluation interpretations, allele frequency determination, match probability database, quality control, certification and accreditation.

Forensic significance of DNA profiling- applications in disputed cases, child swapping, missing person's identity, civil immigration, wildlife and mass disaster victim identification.

legal perspectives: legal standards for admissibility of DNA profiling, procedural and ethical concerns, status of development of DNA profiling in India and abroad and new future technologies DNA chips, SNPs and limitations of profiling.

DNA binding proteins, factors affecting DNA, transcription and translation, pseudo genes, non coding genes, overlapping genes, status and development of DNA profiling CODIS.

Isolation, quantification and quality assessment of DNA from hard and soft tissues, biological materials, Touch and trace DNA, collection preservation and packing of exhibits for DNA Avalos.

PHYSICAL ANTHROPOLOGY:

Forensic Anthropology: Definition, scope and problems. comparative skeletal anatomy of human and non-human. Classification of bones. Identification of bones and determination of site, age determination from skeletal remains. General considerations, suture closure in skull and ossification in other bones. Sex determination from skeletal remains: skull, pelvis and other bones. Estimation of stature from skeletal remains with special reference to long bones.

- Personal identification techniques as somatoscopy, somatometry, osteometry and craniometry, their importance. Portrait Parle/Bertillon system. for Forensic Composite imagery: photofit/identi kit system for facial reconstruction. Craniofacial superimposition techniques as photographic superimposition. Video-superimposition. Roentgenographic superimposition. Importance of tissue depth to reconstruct various facial features/genetic and congenital anomalies: causes, types, identification and their forensic significance.
- **Forensic odontology and serology:** Development and scope, role in mass disaster and anthropology, structural variation in teeth (human and non-human), types of teeth and their functions, determination of age from teeth, eruption sequence. Gustafson's method, dental anomalies, their significance in personal identification.
- Application of serology in solving cases of disputed paternity, theft, rape, murder, etc. ABO, MN and Rh blood-groups and their inheritance. Blood groups determinations techniques, species origin and polymorphism from blood stains and other body fluids.
- **Forensic Genetics:** Human hereditary traits, dominant, codominant, recessive, sex-limited, sex-linked. Genetical hazards and counseling. Identification of twins: monozygotic and dizygotic.

Note : Each Multiple choice question shall be of 02 Mark

Syllabus for Scientific Officer (SO) in Home Department
(Written Examination-Objective Type)

Number of Total Question: 100

M.M: 200

Time Duration: 02 hours

Document Division

Different Standard books and their writers in handwriting identifications, General materials used in paper manufacturing, chemicals used in safety and security papers, different kinds of inks and general methods of ink preparation and analysis, different types of magnifiers i.e hand magnifiers, illuminated magnifiers, binocular magnifiers and stereoscopic microscope, Various kinds of rays i.e. visible, I R, U V, and principles of infra-red photostcopy.

Methods of Comparison of Questioned Writings and Signatures with the Standard writings and signatures. Procurement of Standard Writings and Signatures for Comparison, Kinds of Forgery, Symptoms of forgery, Erasure and kinds of erasures, method of detection of erasures, Disguise, Examination of Charred Document, definition of terms used in hand writing i.e. movement, skill, speed, natural variations, tremors, shading, alignments. Document photography, basic principles and techniques of black & white and colour photography, UV, IR, transmitted light photography, photomicrography and microphotography, type writing identification and its kinds, different types of defects in type writing and their identification. Identification of features of dot-matrix printers, Ink-jet printers, Laser-jet printers. Various printing processes i.e. letter press, lithography, and intaglio printing and their identifying features. Examination of photocopies and scanned documents, Various security features of Indian Bank Notes of higher denominations, E-passports, Credit/Debit/Smart cards, digitally manipulated documents, detection and decipherment of alteration, additions, overwriting, obliteration and erasures.

Pure Physics:

Motion in a plane, cases of uniform velocity, acceleration, projectile motion, Equation of motion of projectile, uniform circular motion, law of conservation of linear momentum and its application, dynamics of uniform circular motion centripetal force and its examples.

Displacement current, EM waves and their characteristics, transverse nature of EM waves, electromagnetic spectrum,

Reflection of light, spherical mirrors, mirror formula, refraction of light, total internal reflection and its applications, optical fibres, refraction at spherical surfaces, lenses, magnification power of lens, combination of the lenses in contact.

Human eye, image formation and accommodation, microscopes, astronomical telescopes and their magnifying power, resolving power of microscope and telescopes,

polarization, plane polarized light and its uses, circular polarized light, Elliptically polarized light, Polaroids UV and Visible spectrophotometry, stability wavelength detection, filter, cells, sampling devices, calibration of instrument, atomic absorption spectrophotometry, lasers.

Crystalline and amorphous structure of matter, different crystal systems, methods of determination of crystal structure, X-ray diffraction, scanning and transmission electron microscope (SEM/TEM), superconductivity, energy dispersive-X-ray, dispersive X-ray analysis (EDX), wave length dispersive X-ray analysis (WDX), semiconductor devices-Diodes, transistors, field effect devices, amplifiers and oscillators, circuits, frequency dependence and applications, photo electronic devices, solar cells, photo detectors, LEDs.

Chemistry:

Atomic structure and periodic properties of elements, chemical bonding, IUPAC nomenclature of organic compounds and coordination complexes, principle of stereo chemistry, conformational analysis, isomerism, and chirality, reactive intermediates and organic reaction mechanism, concept of aromaticity, qualitative and quantitative analysis, mole concept, normality, molarity and molality, mole fraction and their calculations,

Transition metals including inner transition metals, coordination chemistry, concept of acid and bases and its application in pH measurements,

Chromatography, Gas Chromatography, HPTLC techniques, general principles of paper chromatography, column chromatography, TLC, X-ray, florescence analysis GC-MS, theory and principles of electrophoresis.

Analysis of dyes and pigments, valence bond theory, molecular orbital theory, absorption spectra and magnetic properties of transition metal complexes.

Principle and application of photochemistry, Javlonski diagram, quantum yield, photo-sensitization reactions, Norrish-I& Norrish- II

Basic principles of green chemistry, green reagents, phase transfer and nano crystals, calculation of atom energy and E-factor.

Note : Each Multiple choice question shall be of 02 Mark.

Syllabus for Scientific Officer (SO) in Home Department
(Screening Examination-Objective Type)

Number of Total Question: 100
Time Duration: 02 hours

M.M: 200

COMPUTER FORENSICS DIVISION

Introduction to Computer Hardware: Various Components of a computer, Motherboard, Processor, Memory, storage Devices and Networking components. Understanding Computer operating Systems (OS), Booting process of computers. Introduction to File Systems and types of File System.

Cyber Crime: Form of Cyber Crime, Internal and External Attacks, Crimes related to Social Media, ATM and Banking Frauds. Data Privacy issues, Packet sniffing, Spoofing, web security.

First responder: role and toolkit. Procedure for search and seizure of digital evidences. Search and Seizure of Volatile and Non-volatile Digital Evidence. Imaging and Hashing Digital Evidence. Analyzing and Recovery of Deleted, Hidden and Altered files.

Windows Systems Artifacts: File Systems, Registry, Event logs, Shortcut files, Executables. Alternate Data Streams (ads), Hidden files, Slack Space. Linux System and Artifacts: Linux file system: Ownership and Permissions, Hidden Files, User Accounts and Logs. Mac OS X systems and Artifacts: System Startup Logs and services, network configuration, hidden directories, system logs and User Artifacts.

Web Browsers: Cookies, Favorites or Bookmarks, Cache, Session Data and Plugins. Email: Types of Email and Protocols. Analysing the Header details and tracking the email, Spoofed Mails. Virtual Machine and Cloud Technology Forensics.

Computer Networking: Digital and Analog Signaling Methods, Network Types and Topologies, Overview of OSI Model and TCP/IP Protocol. Different types of IP Addresses and Classes, Subnet Masks, Subnetting and Supernetting. Network Hardware Devices and Client/Server Computing. Types of Networks-LAN, MAN and WAN. Routers and Routing Protocols.

Network threats and vulnerabilities, Types of network attacks- eavesdropping, spoofing, modification, Cross-site scripting, DNS Spoofing, Routing Table Poisoning, ARP Poisoning, Web jacking.

Attacks on Wireless Networks. Social Engineering Attacks and its types. Packet Sniffing, Types of authentication, Attacks on WEP, WPA and WPA-2 Encryption, fake hotspots.

IP security architecture, Security protocols, IPSec, Web Security- Firewalls, IDS, IDPS. Network Security Applications, Authentication Mechanism: Passwords,

Cryptographic authentication protocol, Kerberos, X.509 LDAP Directory. Digital Signatures. Web Security: Secure Socket Layer (SSL) Encryption, Transport Layer Security (TLS), Secure Electronic Transaction (SET) and Virtual Private Networks (VPN).

Monitoring of computer network and activities, Live Packet Capturing and Analysis. Searching and collection of evidences from the network. Network Intrusion Detection and Analysis. SQL Injection, Event Log analysis- tools and techniques. Investigating network attacks. Evidence collection from Routers other networking devices.

Cloud Technology and its various components: private, public and hybrid cloud. Cloud types; IaaS, PaaS, SaaS. Role of virtualization in enabling the cloud. Technologies and the processes required when deploying web services. Cloud Security Architecture, Secure Cloud based service, Identity and Access Management, Encryption and key Management. Cloud Forensic- collection and analysis of evidence.

Introduction to Mobile Technologies: Asynchronous Transfer Mode (ATM), Wireless Application Protocol (WAP). Cellular technologies- Advanced Mobile Phone System (AMPS), Imode, Time Division Multiple Access (TDMA), Code Division Multiple Access (CDMA) and Global System for Mobile Communication (GSM) and relative strengths. Subscriber Identity Module (SIM), International Mobile Equipment Identity (IMEI).

Functions of Bluetooth and security issues. Various Generation of Mobile Phone Technologies. Understanding of the mobile phone operating systems- Android, OS, Windows. Understanding of SQLite Databases.

Phone Phreaking, Call tampering, Wireless Hack Walkthrough and Man-in-the-Middle-attacks. Overview of WEP attack. Attacks on WEP, WPA and WPA-2 Encryption, fake hotspots. Wireless Public key Infrastructure. Securing WLAN, WEP Decryption script.

Overview of Mobile Forensics, Seizure and Preservation of mobile phones and PDA. Types of Evidence present in mobile phones- Files present in SIM card, external memory dump and evidences in memory card. Mobile phone evidence extraction process, Data Acquisition Methods-Physical, File System, Logical and Manual Acquisition. Mobile Forensic Investigation Toolkit. Tracking of mobile phone location.

Introduction to Social Media, Security Issues in Social Media, Types of crimes of Social Media- Cyberbullying, Online Grooming, Cyberstalking. Social Media and its impact on Business, Politics, law and Revolutions, Emerging Trends in social media,

Sources for social media evidence, Types of Data Available on social Networking Sites, Different evidence collection methods from social networking sites,

Intelligence gathering from social Media-Tools and technique for intelligence gathering-indirect method, direct method with login, direct method without login. Introduction to cryptography, Symmetric and Asymmetric Cryptosystem Encryption Techniques- Substitutional Cipher and Transpositional Ciphers. Type of keys- public key and private key. Advance Encryption. Techniques and Security Issues. Various type of attacks including Cipher Text-Only attack, Known-Plaintext Attack, Chosen-Plaintext Attack, Chosen-Cipher text Attack. Symmetric Cryptosystem-AES, DES, RC4, Blowfish. Asymmetric Cryptosystems- RSA, DSA, Elliptic Curve cryptography. Introduction to Cryptanalysis-Differential and Linear Cryptanalysis. Hashing Algorithms-MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-3, One-way Hash, Hash Message Authentication Code.

Note : Each Multiple choice question shall be of 02 Mark.

परिशिष्ट-2

वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा-2022 के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु अर्हकारी अंक

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012, 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन), 2016 (चतुर्थ संशोधन) द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य है :-

क्र. सं.	आरक्षण की श्रेणी	निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)
1	अनारक्षित श्रेणी	45%
2	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी	40%
2	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति श्रेणी	35%

नोट- सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जाएगा।

परिशिष्ट-3

निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, ऑनलाइन आवेदनपत्र के प्रिंटआउट के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है :-

- 1) हाईस्कूल प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका।
- 2) इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका।
- 3) दावित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के सापेक्ष उपाधि/प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका (समस्त वर्षों/सेमेस्टर की)।
- 4) अनिवार्य/अधिमान्नी अर्हताओं सम्बन्धी अनुभव प्रमाण-पत्र वांछित प्रारूप पर।
- 5) आरक्षण एवं स्थायी निवास संबंधी प्रमाण-पत्र।
- 6) किसी संघ/राज्य की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कार्यरत अभ्यर्थी द्वारा उच्चतर आयु सीमा में छूट का दावा किया जाने की दशा में वांछित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र।
- 7) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी को उचित माध्यम द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र (Application) की संबंधित कार्यालय में प्राप्ति (Receipt) की सत्यप्रतिलिपि।
- 8) यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में।
- 9) पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं।

अनिवार्य शैक्षिक अर्हता हेतु अनुभव प्रमाण-पत्र
विधि विज्ञान प्रयोगशाला या संस्थान में कम से कम 05 वर्ष का विश्लेषणात्मक अनुभव

कार्यालय का प्रतीक
(यदि उपलब्ध हो)

विभाग/कार्यालय का नाम :.....
विभाग/कार्यालय का पता:.....
राज्य/केन्द्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला/ विश्वविद्यालय/कॉलेज/शोध संस्थान के पंजीकरण का दिनांक :
दूरभाष संख्या :.....
वेबसाइट :.....

सन्दर्भ संख्या :-

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 पुत्र/पुत्री/पति श्री इस राज्य/केन्द्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला/ विश्वविद्यालय/कॉलेज/शोध के कर्मचारी है तथा उनके द्वारा की गई सेवा/विश्लेषणात्मक कार्य का विवरण निम्न प्रकार है :-

पद का नाम	से dd/mm/y y	तक dd/mm/y y	कुल अवधि dd/mm/yy	नियुक्ति की प्रकृति (स्थायी-नियमित/अस्थायी /अंशकालिक/संविदा/ आतिथि फैकल्टी/दैनिक भोगी/मानदेय आधारित आदि)	अनुभव की प्रकृति विशेषता/अनुसंधान का क्षेत्र/तकनीकी/प्रशासन/ अकादमी या अन्य कोई अनुभव (विधि विज्ञान प्रयोगशाला या संस्थान में कम से कम 05 वर्ष का विश्लेषणात्मक अनुभव)	वेतनमान एवं अन्तिम आहरित वेतन	कर्तव्य निर्वहन/प्रत्येक पद का संक्षिप्त अनुभव (कृपया विवरण दें, यदि आवश्यकता हो, संलग्न शीट में)	नियुक्ति का स्थान	अन्य
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दर्शाये सभी तथ्य राज्य/केन्द्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज/शोध के अभिलेखों के आधार पर सत्य एवं सही हैं।

दिनांक :

स्थान :

अभ्यर्थी का नाम एवं हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर

(प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर एवं नाम शब्दों में)

अधिमानी अर्हता हेतु अनुभव प्रमाण-पत्र
विधि विज्ञान के संबंधित क्षेत्र में परीक्षण कार्य एवं शोध का अनुभव

कार्यालय का प्रतीक
(यदि उपलब्ध हो)

विभाग/कार्यालय का नाम :.....
विभाग/कार्यालय का पता:.....
सार्वजनिक/राजकीय प्रयोगशाला/संस्थान के पंजीकरण का दिनांक :
दूरभाष संख्या :
वेबसाइट :

सन्दर्भ संख्या :-

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 पुत्र/पुत्री/पति श्री इस विभाग/
सार्वजनिक/राजकीय प्रयोगशाला/संस्थान के कर्मचारी है तथा उनके द्वारा की गई सेवा का विवरण निम्न प्रकार है :-

पद का नाम	से dd/mm/yy	तक dd/mm/yy	कुल अवधि dd/mm/yy	नियुक्ति की प्रकृति (स्थायी-नियमित/अस्थायी /अंशकालिक/संविदा/ आतिथि फैकल्टी/दैनिक भोगी/मानदेय आधारित आदि)	अनुभव की प्रकृति विशेषता/अनुसंधान का क्षेत्र/तकनीकी/प्रशासन /अकादमी या अन्य कोई अनुभव विधि (विधि विज्ञान के संबंधित क्षेत्र में परीक्षण कार्य एवं शोध का अनुभव)	वेतनमान एवं अन्तिम आहरित वेतन	कर्तव्य निर्वहन/प्रत्येक पद का संक्षिप्त अनुभव (कृपया विवरण दें, यदि आवश्यकता हो, संलग्न शीट में)	नियुक्ति का स्थान	अन्य
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दर्शाये सभी तथ्य विभाग/ सार्वजनिक/राजकीय प्रयोगशाला/संस्थान के अभिलेखों के आधार पर सत्य एवं सही हैं।

दिनांक :

हस्ताक्षर

स्थान :

(प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर एवं नाम शब्दों में)

पदनाम व मुहर

अभ्यर्थी का नाम एवं हस्ताक्षर :

EXPERIENCE CERTIFICATE FOR ESSENTIAL QUALIFICATION

At least 05 years Analytical Experience in a Forensic Science Laboratory or Institute

Logo of Office

(If available)

Name of Deptt./Office :.....
 Address of Deptt./Office :.....
 Date of Reg. of State Govt./ Central Forensic Science Laboratory/University/College/Research Institution :
 Telephone No. :.....
 Website :.....

Dated :

Ref. No. -

This is to certify that Shri/Smt./Km. Son/Daughter/Husband of Shri..... is an bonafide employee of this **State Govt./ Central Forensic Science Laboratory/University/College/Research Institution** and that the duties/Analytical work performed by him are as under:

Name of the post held	From dd/mm/yy	To dd/mm/yy	Total Period dd/mm/yy	Nature of appointment (Permanent- Regular/ Temporary/ Part-time/ Contract/Visiting faculty/Daily wages/ Honorary, etc.)	Nature of Experience: Specialty/Field of Research/Technical /Administration /Academic or any other experience.(At least 05 Year Analytical Experience in a Forensic Science Laboratory or Institute)	Pay scale and last salary drawn	Duties performed/experience gained in brief in each post (Please give details, if need be, in attached sheet)	Place of posting	Others
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

This is also certified that above facts and figures are true and based on service records available in our **State Govt./ Central Forensic Science Laboratory/University/College/Research Institution**.

Date :
 Place :
 Name & Signature of Candidate :

Sign
 (Name & Signature of Authorized Signatory in Capital Letters)
 Designation with seal

EXPERIENCE CERTIFICATE FOR PREFERENTIAL QUALIFICATION
Experience of Analysis Work and Research in the Relevent Field of Forensic Science

Logo of Office
(If available)

Name of Deptt./Office :.....
 Address of Deptt./Office :.....
 Date of Reg. of Public/State Laboratory/Institution :
 Telephone No. :.....
 Website :.....

Dated :

Ref. No. -

This is to certify that Shri/Smt./Km. Son/Daughter/Husband of Shri..... is an bonafide employee of this Public/State Laboratory/Institution and that the duties performed by him are as under:

Name of the post held	From dd/mm/yy	To dd/mm/yy	Total Period dd/mm/yy	Nature of appointment (Permanent- Regular/ Temporary/ Part-time/ Contract/Visiting faculty/Daily wages/ Honorary, etc.)	Nature of Experience: Specialty/Field of Research/Technical /Administration /Academic or any other experience.(Experience of Analysis Work and research in the relevent Field of Forensic Science)	Pay scale and last salary drawn	Duties performed/experience gained in brief in each post (Please give details, if need be, in attached sheet)	Place of posting	Others
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

This is also certified that above facts and figures are true and based on service records available in Public/State Laboratory/Institution.

Date :

Place :

Sign
 (Name & Signature of Authorized Signatory in Capital Letters)
 Designation with seal

Name & Signature of Candidate :

“परिशिष्ट-5”

उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण-पत्र का प्रारूप

(01) उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील
..... नगर जिला उत्तराखण्ड कीजाति के
व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान
(अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारीतथा अथवा उनका परिवार
उत्तराखण्ड के ग्राम तहसील नगरजिला में
सामान्यतया रहता है।

स्थान :

दिनांक :

मुहर :

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

(02) उत्तराखण्ड राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील
.....नगर जिला उत्तराखण्ड के राज्य की

..... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथाअथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम
. तहसील नगर जिलामें सामान्यतया रहता
है।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

(03) उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए

प्रमाण-पत्र

शासनादेश संख्या 4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री निवासी ग्राम
तहसील नगर जिलाउत्तर
प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के
लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है
और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित)
पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री उपयुक्त अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता
संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी

(सील)

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

(04) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र


प्रमाण-पत्र संख्या.....वर्ष.....हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पत्नी/पुत्री.....ग्राम/मुहल्ला.....
पोस्ट ऑफिस.....जिला.....पिन कोड.....
उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है।
इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष.....की औसत आय आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) से कम है और इनका
परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :-

- (I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
- (II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
- (III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
- (IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि.....जाति से हैं
और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा
वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर
नाम.....
पदनाम.....



Handwritten signature

परिशिष्ट-6

स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा के अंक पत्र में ग्रेडिंग (CGPA, OGPA,SGPA etc.) प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु

Ref. No./Letter No.-

Date:-

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... इस विश्वविद्यालय/संस्थान में
विषय/उपविषय (Subject/Branch)में स्नातक/ स्नातकोत्तर हेतु पंजीकृत
थे/थी, जिनका/जिनकी पंजीकरण संख्या..... है।

इस विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा के अंकपत्र में प्रदान किये गये ग्रेडिंग
को प्रतिशत अंक में परिवर्तन का सूत्र है। स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में
ग्रेडिंग के समतुल्य प्राप्तांक..... प्रतिशत है।

कुलसचिव
(हस्ताक्षर व मुहर)